हरियाणा वन जनगणना

चर्चा में क्यों?

पहली राज्य-व्यापी वृक्ष गणना के अनुसार, **हरियाणा में नरि्दष्टि वनों के बाहर लगभग 4.1 करोड़ पेड़ हैं,** जनिमें **नीम, शीशम, पीपल, बरगद और नीलगरिी** सबसे सामान्य प्रजातयिाँ हैं।

मुख्य बदिु:

- **राज्य में हरति आवरण प्रबंधन** के संबंध में सुवज्ञि नरि्णय लेने में अधकिारयिों की सहायता के लयि लगभग 150 सर्वेक्षक, टैक्सोनोमसि्ट और तकनीकी कर्मचारी 13 महीने की अवधि के लयि परयिोजना में लगे हुए थे।
  - यह **वन क्षेत्रों के बाहर प्रत्येक ज़लि में वृक्षों की संख्या पर डेटा प्रदान करता है।** वृक्षों की सबसे अधकि संख्या यमुनानगर, अंबाला, सरिसा, भवािनी और हसिार में पाई गई।
  - फरीदाबाद की गनिती सबसे कम थी, इसके बाद कुरुक्षेत्र, पलवल, गुड़गाँव और रोहतक थे।
- अपने कुल क्षेत्रफल का केवल **6.7%** हस्सिा कवर करने वाले **हरियाणा में भारत में सबसे कम वन और वृक्ष क्षेत्र है।** राष्ट्रीय वन नीति का लक्ष्य प्रत्येक राज्य के लयि 20% कवरेज का है।
  - हरयिाणा के 22 ज़लिों में से 21 में 20% से कम वन और वृक्ष आवरण है।
  - करनाल 1.8% के साथ सबसे नचिले स्थान पर है, पंचकुला 47.4% के साथ सूची में शीर्ष पर है और गुड़गाँव 12.9% के साथ छठे स्थान पर है।
- भारतीय वन सर्वेक्षण की रपिोर्ट के अनुसार, राज्य में वृक्ष आवरण में भी तेज़ी से गरिावट देखी जा रही है, वर्ष 2019 से 2020 तक वृक्ष आवरण (वन क्षेत्र को छोड़कर) में 140 वर्ग कमिी. की कमी आई है।
  - वन वभिाग के अधकिारी जनगणना डेटा का उपयोग करके संरक्षण प्रयासों को बढ़ाने की योजना बना रहे हैं।
  - वे इस तर्क का समर्थन कर रहे हैं कि सरकार कम-से-कम 25% पंचायत और सामान्य भूमि वृक्षारोपण के लयि नरि्धारति करे, संस्थानों को अपने क्षेत्र का 33% वृक्ष कवर के तहत रखना चाहयि तथा शहरी स्थानीय नकिायों को हैदराबाद की पहल से प्रेरणा लेते हुए शहरों में हरति स्थान वकिसति करने पर ध्यान केंद्रति करना चाहयि।
  - उच्च गुणवत्ता वाले पौधों के महत्त्व पर ज़ोर देते हुए, अधकिारयिों ने इस बात पर ज़ोर दयिा कि वृक्षों के अस्तत्वि और वकिास को सुनश्चिति करने हेतु उनका उपयोग करना महत्त्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय वन नीति

- भारत के वन वर्तमान में **राष्ट्रीय वन नीति, 1988** द्वारा शासति होते हैं
- इसके केंद्र में पर्यावरण संतुलन और आजीवकिा है।
- **मुख्य वशिषताएँ और लक्ष्य:**
  - पारस्थितिकि संतुलन के संरक्षण और बहाली के माध्यम से पर्यावरणीय स्थरिता को बनाए रखना
  - प्राकृतकि वरिासत का संरक्षण (मौजूदा)।
  - नदयिों, झीलों और जलाशयों के जलग्रहण क्षेत्रों में मृदा के कटाव तथा अनाच्छादन की जाँच करना।
  - राजस्थान के रेगस्तिानी इलाकों और तटीय इलाकों में रेत के टीलों के वस्तिार की जाँच करना।
  - वनीकरण और सामाजकि वानकिी के माध्यम से वन/वृक्ष आवरण में पर्याप्त वृद्धि करना।
  - ग्रामीण और जनजातीय जनसंख्या की ईंधन, लकड़ी, चारा, लघु वन उपज, मृदा तथा इमारती लकड़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लयि कदम उठाना।
  - राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लयि वनों की उत्पादकता बढ़ाना।
  - वन उपज के कुशल उपयोग और लकड़ी के इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहति करना।
  - कार्य के अवसरों का सृजन, महलिाओं की भागीदारी।

भारतीय वन सर्वेक्षण

- **भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI), देहरादून वर्ष 1987 से** वन आवरण का **द्ववािर्षकि (प्रत्येक दो वर्ष में एक बार)** आकलन कर रहा है और

निष्कर्ष **भारत राज्य वन रपिोर्ट (ISFR)** में प्रकाशति कयि जाते हैं।

- **ISFR 2021** के नवीनतम आकलन के अनुसार, भारत का कुल वन और वृक्ष आवरण **8,09,537 वर्ग कलिोमीटर है जो देश के भौगोलकि क्षेत्र का 24.62% है।**
- वशिष रूप से, यह **ISFR 2019 मूल्यांकन की तुलना में 2261 वर्ग कलिोमीटर की वृद्धि दर्शाता है** जो वन संरक्षण प्रयासों में सकारात्मक प्रगति का संकेत देता है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/haryana-forest-census